

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं०-27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-II (ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

अनुसूची-II (ख) के क्रमांक 109 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्-


क्र० सं०	माल का विवरण	कर की दर
109	अधिसूचना जारी होने की तिथि से छः माह तक मिठाई, रेवड़ी गजक तथा नमकीन। उक्त अवधि के उपरान्त अधिसूचना संख्या 498/2015/24(120)/XXVII(8)/2010, दिनांक 10.08.2015 द्वारा विनिर्दिष्ट प्रविष्टि तदनुसार लागू रहेगी।	5 प्रतिशत


(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या- 407/2016/24(120)/XXVII(8)/2010, तददिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3. भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4. सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5. एन0आई0सी0
6. गार्ड फाईल।


.....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 406/2016/24(120)/ XXVII(8)/2010 dated 27 July, 2016 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 406/2016/24(120)/XXVII(8)/2010
Dehradun :: Dated: :27 July, 2016

Notification


WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax, 2005 (Act no.27 of 2005) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the amendment in Schedule-II(b) of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

Amendment

In Schedule II (b), for the existing entry at serial no. 109 the following entry shall be substituted; namely-

Sr. NO.	Description of goods	Rate of tax
109	From the date of notification to six month Sweetmeat, rewari, gajak and namkeen. After the said period entry specified vide notification no 498/2015/24(120)/XXVII(8)/2010, dated 10.08.2015 will continue to apply accordingly.	5 percent


(Dilip Jawalkar)
Secretary